न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर, सर्किट बेंच, भोपाल

निगरानी-0550/2019/रायसेन/भू०रा०

राजस्व पुनरीक्षण याचिका कमांक– /2019-2020

(311)

जमना प्रसाद
आत्मज– खुमान सिंह मेहरा,
निवासी– ग्राम पलकाश्री,
तहसील बाड़ी,
जिला रायसेन (म.प्र.) ———————— पुनरीक्षणकर्ता / अपीलार्थी

विरूद्ध

अभिभावक श्री ...क्षत्री ताद्वेद... द्वारा आज दिनांक 22/4/19 को पेश।

1.चन्दन सिंह
आत्मज– स्व.चेतराम मेहरा
निवासी– ग्राम पलकाश्री,
तहसील बाड़ी,
जिला रायसेन (म.प्र.)

स्थायी निवास– सिलारी कॉलोनी, बाबई,
तहसील बाबई,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

2.सुरेश कुमार
आत्मज– मोहनलाल मेहरा
निवासी– ग्राम पलकाश्री,
तहसील बाड़ी,
जिला रायसेन (म.प्र.) ———————— उत्तरदाता /प्रतिअपीलार्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा अपील कमांक **117 /अपील /2016-17** में पारित आदेश दिनाँक **10-12-2018** जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण कमांक– **42 /अपील /अ -56 /2015-16** (श्री चन्दन सिंह विरूद्ध श्री जमना प्रसाद व अन्य) में पारित आदेश दिनाँक **18-04-2017** की पुष्टि की गई, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

जमना प्रसाद मेहरा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-550/2019/रायसेन/भू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-4-19	आवेदक अधिवक्ता श्रीमती अनिता दुबे उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	